डी.एन.जीवाराजु व अन्य

बनाम

डी. सुधाकर व अन्य वगैरह

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 33333-33335, 2010,)

दिसम्बर 16, 2010

{न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर व सिराक जोसेफ}

भारत का संविधान 1950 - 10वीं अनुसूची, पैरा 2 (2)

अयोग्यता आवेदन -पृथक-पृथक रीट याचिकाएं पांच निर्दलीय विधायकों एवं 11 भाजपा सदस्यों द्वारा उनके राज्य विधानसभा चुनाव में कि गई निर्योग्यता की चुनौती- इसके पश्चात् पांच स्वतंत्र विधायकों द्वारा अपनी रीट याचिका की पैरा संख्या 9 में वर्णित कथनों का संशोधन जिसमें उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं छोड़ने का कथन किया गया व विकल्प में उनके द्वारा भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं को पुनःस्थापित करें और इसके विपरित दूसरे प्रतिवादी की साक्ष्य विकृत है और अलग किये जाने योग्य है- आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार

किया गया है- हस्तक्षेप -अभी निर्धारित -यह स्थापित करने के लिए की कोई सकारात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था कि याचिकाकर्ता भाजपा में शामिल हो गए थे। रीट याचिका के पैरा 9 के कथन रीट याचिकाओं के दो सेट तैयार करने के कारण और उनके समान तथ्य होने से सद्भाविक गलती थी- उक्त कथन इस आशय किए गए थे कि रीट याचिका 11 भाजपा विधायकों द्वारा उनके भाजपा को छोड़कर अन्य पार्टी में शामिल होने पर उन्हें अयोग्य करने के आधार पर दायर की गई थी - रीट याचिका की पैरा 9 में केवल एक ही वाक्य भिन्न था की याचिकाकर्ता द्वारा भाजपा नहीं छोड़ी गई थी और वह वही कर सकते थे यदि देखा जाए तो एक स्पष्ट परिवेश के रूप में नही माना जाएगा- सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश 6 नियम 17

प्रत्यर्थीगण 1-5 राज्य विधानसभा में निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गए उनके येदियुरप्पा बीजेपी को समर्थन दिया- सरकार एवं वे सरकार में मंत्री के रूप में जुड़े इसके पश्चात् एमएलए के दो समूह प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 व 11 बीजेपी एमएलए द्वारा सरकार को सूचित किया गया कि कामकाज में भ्रष्टाचार और भाईभतीजावाद के कारण वे अपना समर्थन सरकार को वापस लेते हैं सरकार जिसमें मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा थे - राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को सदन में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहा। मुख्यमंत्री ने संविधान के 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (2) के तहत

विधानसभा के पांच स्वतंत्र सदस्यों एवं 11 भाजपा विधायको की अयोग्यता की मांग की। प्रत्यर्थीगण ने रीट याचिका दायर करते हुए उन्हें अयोग्य घोषित करने के आदेश को चुनौती देते हुए उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने की मांग की। प्रत्यर्थीगण संख्या 1-5 ने आदेश 6 नियम 17 सीपीसी सपठित अनुच्छेद 226 व 227 भारतीय संविधान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी रीट याचिका के पैरा संख्या 9 में यह संशोधन चाहा ''याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित नहीं हुए हैं और दूसरे प्रत्यर्थीगण की साक्ष्य उनके विपरित होने से खारिज किए जाने योग्य है' यह भी कहा गया कि रीट याचिका के दो सेट दायर किए गए और यह वाक्य 11 भाजपा विधायकों ने जल्दबाजी में प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 की रीट याचिका से लिए हैं। उच्च न्यायालय ने प्रार्थना पत्र की अनुमति प्रदान की- जिससे याचिकाकर्ताओं द्वारा यह विशेष अनुमति याचिका दायर की गई।

न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुये अभीनिर्धारित किया गया

1.1 यह निवेदन की रीट याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में दिये गये बयान इस प्रभाव से हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा गया, यह गलती नहीं थी लेकिन जानबूझकर कि गई थी, और यह कि उच्च न्यायालय ने अन्यथा अभी निर्धारित नहीं किया था। यह रीट

याचिका में दी गई परिस्तिथियों से उत्पन्न नहीं थी यदि पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाता। इस तथ्य पर संदेह करते हुए कि रीट याचिकाकर्ताओं के पास सबकुछ था पूरे संकेत थे कि वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने हुए थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा और न ही उनके पास ऐसा मौका था कि वे भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो सकें। दूसरी तरफ स्पीकर को दिये गए उनके अंतरिम जवाब जो उन्होंने कारण बताओ नोटिस के संबंध में दिया था, प्रत्यर्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के पैराग्राफ 8 में अनिश्चित शब्दों में कहा गया कि वे निर्दलीय थे जो किसी भी राजनैतिक दल में शामिल नहीं हुए थे इसके अलावा भाजपा बाहर से येदियुरप्पा सरकार को समर्थन कर रही थी इस कथन से निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि रीट याचिकाओं द्वारा भाजपा को ज्वाइन किया गया इसके अलावा उनके द्वारा राज्यपाल को लिखे गए पत्र में उन्होंने स्पष्ट शब्दों से यह संकेत दिया कि वे भारतीय जनता पार्टी सरकार जो श्री बी.एस. येदियुरप्पा द्वारा नेतृत्व कि जा रही है, से अपना समर्थन उनके भ्रष्टाचार, भाईभतीजावाद व पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण वापस ले रहे हैं किसी भी समय कोई सकारात्मक सबूत विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया कि रीट याचिका कर्ता/ प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 के द्वारा भाजपा को ज्वाइन किया गया {पैरा 21} {1285-बी एच; 1286-ए-बी}

1.2 इंगित परिस्तिथियों में रीट याचिका के पैरा संख्या 9 में किए गए कथन जो प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 5 द्वारा दायर की गई थी कि उन्होंने भाजपा को नहीं छोड़ा यह एक अनजाने में हुई गलती थी दूसरी ओर प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 द्वारा अपनाए गए रूख में यह अच्छा बचाव था कि समान तथ्य वाली दो रीट याचिकाओं के सेटों की तैयारी के कारण जिन में एमएलए शामिल थे, के कुछ पैराग्राफ को शामिल करने का आशय नहीं था जो प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 द्वारा अनजाने में शामिल किया गया था जिसके परिणामस्वरूप रीट याचिकाओं की पैराग्राफ 9 में बयान दिया गया कि प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने भारतीय जनता पार्टी को नहीं छोड़ा था यह स्पष्ट है कि इस तरह के बयान का उद्देश्य 11 भाजपा एमएलए के द्वारा अपनी रीट याचिका में लिया गया था जिन्हें इस आधार पर कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लिया है इससे संविधान की 10 वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2 (2) के परिणाम सामने आते हैं। {पैरा 21} {1286-सी ई;}

1.3 उच्च न्यायालय ने सही माना कि गलती अनजाने में थी और वह रीट याचिका के पैरा संख्या 9 की एक वाक्य के अलावा कहीं नहीं थी जिसमें प्रत्यार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 में यह कथन किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा उक्त वाक्य को एक श्रंखलाबद्ध स्वीकारोक्ति के रूप में कार्यवाही संदर्भ में नहीं माना जा सकता। कार्यवाही स्वंय 10 वीं

अनुसूची की पैरा 2 (2) के अधीन है 10वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि एस सदन के निर्वाचित सदस्य के रूप में जो भी चुने गए हैं वे अन्यथा राजनैतिक दल के सदस्य होने का अयोग्य होगा यदि वे इसके बाद किसी अन्य राजनैतिक दल में व चुनाव के बाद शामिल हो गया हो इसलिए विशेष अनुमति याचिका में किए गए इन स्वीकारोक्तियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। {पैरा 23 व 24} {1288-एफ एच} {1289-ए बी}

नागिनदास रामदास बनाम दलपतराम इच्छाराम अलियास बृजराम व अन्य (1974) 1 एससीसी 242, गौतमसरूप बनाम लीला जेटली व अन्य 2008 (7) एससीसी 85 संदर्भित

संदर्भ में विधि कानून

(1974) 1 एससीसी 242, संदर्भ पैरा 12

2008 (7) एससीसी 85 संदर्भ पैरा 12

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील न. 33333-33335 वर्ष 2010

उच्च न्यायालय कर्नाटक बैंगलोर मेंमिस. रीट न. 9995 वर्ष 2010 रीट पीटीशन न. 32674-32678 वर्ष 2010 (जीएम-आरईएस) मिस. रीट न.10529 वर्ष 2010 रीट पीटीशन न. 32674-32678 वर्ष 2010 (जीएम-आरईएस) मे पारित निर्णय व आदेश दिनांक- 15.11.2010 से

सोली जे सिराबजी, सत्यपाल जैन, भूपेंद्र यादव, विक्रमजीत बेनर्जी, एस.एस शमशेरी, एम.बी नरगुंड, विक्रम फड़के, याचिकाकर्ताओं के लिए आर.सी कोहली।

पी.पी राव, प्रशान्त कुमार, त्रिवेणी पोटेकर, महालक्ष्मी पवनी, विमला देवी, शशिकरण शेट्टी, पुरूषोतम एस.टी, उत्सव सिद्धू, फिल्जा मूनिस, अपेक्षा शरण, अमरजीत सिंह उत्तरदाताओं के ओर से बेदी।

न्यायालय द्वारा जस्टिस अल्तमस कबीर ने निर्णय अभिनिर्धारित किया

डीएन जीवराजू और एएनआर। बनाम डी. सुधाकर एवं अन्य। वगैरह।

अल्तमस कबीर, जे.

1. ये विशेष अनुमति याचिका (सी) 2010 का ई संख्या 33333-33335 एक अंतिम निर्णय से उत्पन्न हुआ और कर्नाटक द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 नवंबर, 2010 बैंगलोर में उच्च न्यायालय M.W.No.9995/10,M.W.No.10529/10, एम.डब्ल्यू.नं.10698/10, डब्ल्यू.पी.नं.32674/10,डब्ल्यू.पी.नं.32675/10,W.P.No.32676/10, W.P.No.32677/10 और W.P.No.32678/10,एफ ने रिट याचिकाकर्ताओं के आवेदन को विविध डब्ल्यू नंबर 9995 होने की अनुमति दी 2010 में, अनुच्छेद 9 के एक भाग में संशोधन करने की अनुमति के लिए प्रार्थना रिट याचिकाओं का.

2. रिट याचिकाकर्ता, डी. सुधाकर, वेंकटरमनप्पा, गुलिहट्टी डी. शेखर, शिवराज एस. थगडगी और पीएम नरेंन्द्र स्वामी, सभी 13 वीं कर्नाटक विधान सभा के लिए आम चुनावों में स्वतंत्र सदस्य के रूप में चुने गए थे। निर्वाचित होने के बाद, उन्होंने मई, 2008 में राज्य में सरकार बनाने के लिए भाजपा विधायक दल के नेता श्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (बाद में "भाजपा" के रूप में संदर्भित) द्वारा की गई कवायद का समर्थन किया। रिट याचिकाकर्ता, जिन्हें इन विशेष अनुमति याचिकाओं में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बनाया गया है, समर्थन देने के अलावा, सरकार में मंत्री के रूप में भी शामिल हुए और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भाजपा विधायक दल की बैठकों में भी भाग लिया।

3. 6 अक्टूबर, 2010 को प्रत्येक स्वतंत्र सदस्य ने राज्यपाल को सूचित किया कि सरकार के कामकाज में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के कारण उनका मोहभंग हो गया है और इसलिए वे बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। अगले ही दिन, श्री डीएन जीवराजू और श्री सीटी रवि, जो कर्नाटक में भाजपा के मुख्य सचेतक और सदस्य सचिव थे, ने अनुच्छेद 2(2) के तहत विधानसभा से पांच स्वतंत्र सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर की। संविधान की दसवीं अनुसूची 8 अक्टूबर, 2010 को,

कर्नाटक विधान सभा के सचिव द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें उन्हें 10 अक्टूबर, 2010 को शाम 5.00 बजे तक लिखित रूप में आपत्तियां दर्ज करने के लिए कहा गया था। संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(2) के तहत उनकी अयोग्यता के लिए उचित आदेश क्यों पारित नहीं किए जाने चाहिए। यह भी उल्लेख किया गया था कि यदि उक्त उत्तरदाता उक्त तिथि पर या उससे पहले उपस्थित होने या अपनी आपत्तिया दर्ज करने में विफल रहते है, तो मामले का फैसला कानून के अनुसार किया जाएगा।

4. यह प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का मामला है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप में उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रतियां नहीं दी गई थीं और 9 अक्टूबर, 2010 को उन्हें मीडिया के माध्यम से शो जारी करने के बारे में पता चला था-नोटिस जारी किया और सभी अनुलग्नकों के साथ इसकी प्रतियां मांगी। उक्तं उत्तरदाताओं का यह भी मामला है कि 10 अक्टूबर, 2010 को सुबह 11.00 बजे उन्हें कारण बताओ नोटिस की प्रतियां और प्रतिवादियों द्वारा दायर की गई शिकायतों और दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गई। उक्त प्रतिवादियों के अनुसार, उन्होंने कारण बताओ नोटिस पर दिनांक 9 अक्टूबर 2010 को अंतरिम जवाब दाखिल किया और उस पर पूरी आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मांगा। मामला 10 अक्टूबर, 2010 को अपराह्न 3.30 बजे सुनवाई के लिए लिया गया था, और प्रतिवादियों

द्वारा दायर समय की प्रार्थना के बावजूद, विधानसभा अध्यक्ष ने उसी दिन पैराग्राफ 2(2) के तहत प्रतिवादी नंबर 1 से 5 को अयोग्य घोषित करने के आदेश पारित किए। संविधान की दसवीं अनुसूची तत्काल प्रभाव से। अगले ही दिन, कर्नाटक विधानसभा के समक्ष रिट याचिका में 8 वें प्रतिवादी, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए विश्वास मत पर मतदान होना था। इसलिए, उत्तरदाताओं ने डीएन जीवराजू और सीटी रवि द्वारा दायर अयोग्यता आवेदन संख्या 2/10 में 10 अक्टूबर, 2010 के आदेश को चुनौती देते हुए, आदेश पर रोक लगाने के लिए, जल्दी से 2010 की रिट याचिका संख्या 32764-78 दायर की। उच्च न्यायालय और उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने में सक्षम बनाना।

5. मामले की तात्कालिकता को देखते हुए, कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश से एक बेंच बुलाने और अदालत की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था, जबकि रिट याचिकाएं रजिस्ट्री में दायर की गई थीं। अनुरोध को स्वीकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायाधीश की एक खंडपीठ बुलाई गई। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कुछ अनपेक्षित त्रुटियां शामिल की गई हैं, जिनमें कुछ बयान शामिल हैं, जो वास्तव में, रिट याचिकाओं के एक अन्य सेट का हिस्सा थे, जो ग्यारह भाजपा विधायकों की ओर से दायर किए गए थे। येदियुरप्पा सरकार से अपना समर्थन भी वापस ले

लिया और इसलिए उन्हें अयोग्यता की कार्यवाही का भी सामना करना पड़ा।

6. यह प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का मामला है कि जिस जल्दबाजी में रिट याचिकाओं के दो सेट तैयार किए गए थे, उनमें से कुछ तथ्य जो रिट याचिकाओं के दोनों सेटों में समान थे, उन्हें एक से हटा दिया गया था। रिट याचिकाओं का एक सेट और इस प्रक्रिया में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दायर रिट याचिकाओं में कुछ अनपेक्षित बयान शामिल किए गए थे, जो वास्तव में, दायर रिट याचिकाओं के पहले सेट मे शामिल पैराग्राफ के समान थे। विधायकों का दूसरा समूह, भाजपा से संबंधित जिन्हें भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इस प्रक्रिया में, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दायर रिट याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में, कुछ अनपेक्षित बयान शामिल किए गए थे जो पूरी रिट याचिका के संदर्भ में स्पष्ट रूप से एक गलती थी। संदर्भ के लिए, 2010 की रिट याचिका (सी) संख्या 32674 से 32678 के पैराग्राफ 9 को यहां नीचे दिया गया हैः

7. यहां प्रतिवादी नंबर 1 और 3 द्वारा की गई कथित याचिका स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण है और अयोग्यता नियम, 1986 के नियम 6 (4) का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर एक परोक्ष उद्देश्य से बनाई गई है, जिसके लिए उन्हें खुद को संतुष्ट करना आवश्यक था। यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि यह प्रश्न उठ गया है कि क्या ऐसा सदस्य दसवीं

अनुसूची के तहत अयोग्यता के अधीन हो गया है। इस मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई भी उचित व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि याचिकाकर्ताओं ने दलबदल के आधार पर कोई अयोग्यता अर्जित की है। यहां तक कि प्रथम दृष्टया दलबदल का मतलब पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होना है. याचिकाकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है।'' 87. इन विशेष अनुमति याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का पूरा मामला उक्त बयानों के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसे उच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों के कारण गलती से शामिल कर लिया था। रिट याचिकाओं के दो सेट दायर किए गए थें।

8. यहां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दायर रिट याचिकाओं में उक्त त्रुटि को ध्यान में रखते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश टप् नियम 17 के तहत रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा 2010 का प्।छवण्9995 होने के नाते एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227, उसके अनुच्छेद 9 में संशोधन के लिए। रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए स्पष्ट बयानों के आलोक में कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के प्रतीक का उपयोग नहीं किया था और न ही वे भाजपा में शामिल हुए थे, बल्कि केवल स्वतंत्र विधायकों के रूप में सरकार बनाने का समर्थन किया था, के लिए प्रार्थना की गई थी पैराग्राफ 9 के अंतिम वाक्य को हटाने की अनुमति दें, जिसमें लिखा है,

''याचिकाकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ी है' और इसे निम्नलिखित वाक्स से प्रतिस्थापित करें, अर्थात्, ''याचिकाकर्ता बिल्कुल भी भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं और इसके साक्ष्य इसके विपरीत दूसरे प्रतिवादी विकृत हैं और उन्हें अलग रखा जा सकता है।''

9. जैसा कि यहां पहले संकेत दिया गया है, उच्च न्यायालय ने 15 नंवबर, 2010 को अपने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, रिट याचिकाकर्ताओं के मामले पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, यह मानते हुए संशोधन की अनुमति दी कि यदि इस तरह के संशोधन की अनुमति दी गई थी, तो न ही इसकी प्रकृति विवाद, कार्रवाई का कारण, न ही रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत की प्रकृति बदलेगी और प्रतिवादियों पर कोई पूर्वाग्रह या अन्याय नहीं होगा।

10. उच्च न्यायालय का उक्त निर्णय और आदेश इन विशेष अनुमति याचिकाओं में चुनौती का विषय है।

11. प्रारंभ में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी यहां याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए, और प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में दिए गए बयान, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा संशोधित करने की अनुमति दी गई थी, केवल एक कारण से नहीं थे। गलती लेकिन जानबूझकर की गई थी और किसी भी स्थिति में, स्वीकारोक्ति किसी तथ्य का सबसे अच्छा सबूत है, उक्त बयानों को एक

स्वीकारोक्ति के रूप में लिया जाना चाहिए, जिसका लाभ विशेष अनुमति याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सोली जे. सोराबजी, जो इसके बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, उसी क्रम में आगे बढ़े। इस तरह के विवाद के समर्थन में, श्री सोराबजी ने सबसे पहले नागिनदास रामदास बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। दलपतराम इच्छाराम उर्फ बृजराम एवं अन्य। {(1974) 1एससीसी 242}, जहां साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 58 के प्रावधान विचार के लिए आए और इस विषय पर इस न्यायालय के पहले के फैसलों पर विचार करने के बाद, यह माना गया कि जो सिद्धांत पहले के विश्लेषण से उभरता है मामलों में यह है कि यदि डिक्री के पारित होने के समय न्यायालय के समक्ष कुछ सामग्री थी, जिसके आधार पर न्यायालय बेदखली के वैधानिक आधार के अस्तित्व के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो सकता था, तो एक अनुमान लगाना होगा कि न्यायालय इतना संतुष्ट था और बेदखली का आदेश, भले ही समझौते के आधार पर पारित किया गया हो, वैध होगा। ऐसी सामग्री या तो मामले में दर्ज या उत्पादित साक्ष्य का आकार ले सकती है या यह आंशिक रूप से या पूरी तरह से समझौता समझौते में की गई व्यक्त या निहित स्वीकृति के आकार में हो सकती है। इस न्यायालय ने कहा कि स्वीकारोक्ति, यदि सत्य और स्पष्ट है, स्वीकृत तथ्यों का अब तक का सबसे अच्छा प्रमाण है। दूसरे

शब्दों में, मामले की सुनवाई के समय या उससे पहले पक्षों या उनके एजेंटों द्वारा की गई साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकार्य स्वीकारोक्ति और अभिवचन या न्यायिक स्वीकारोक्ति, साक्ष्य संबंधी स्वीकारोक्ति की तुलना में उच्च स्तर पर है। गौतम सरूप बनाम में इस न्यायालय द्वारा यही विचार व्यक्त किया गया है। लीला जेटली और अन्य। {(2008(7) एससीसी 85}, जिसमें समान परिस्थितियों में, सिविल प्रकिया संहिता के आदेश टप् नियम 17 के तहत एक आवेदन पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि एक दलील में की गई स्वीकारोक्ति को उसी में नहीं माना जाना चाहिए एक दस्तावेज में एक स्वीकारोक्ति के रूप में। लिस में एक पक्ष द्वारा की गई एक स्वीकारोक्ति उसके प्रोप्रियोविगोरे के खिलाफ स्वीकार्य है। श्री सोराबजी ने अपनी दलीलों के समर्थन में उसी बिंदु पर कई अन्य निर्णयों का हवाला दिया था।

13. श्री सोराबजी ने आग्रह किया कि यह शायद ही विश्वास करने योग्य है कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होने वकीलों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण बयानों पर ध्यान नहीं दिया गया, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जो संकेत देते हैं कि उनके कार्यों और आचरण से, सभी व्यावहारिक उद्देशयों के लिए भाजपा में शामिल होना, यह था यह स्वाभाविक ही है कि रिट याचिकाओं में यह बयान दिया गया कि उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ी है। श्री सोरबजी ने कहा कि गलती तो दूर, आरोप लगाए

जाने के बाद जानबूझकर उनके आचरण के कारण यह बयान दिया गया था, जबकि रिट याचिकाकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया था। न केवल भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन किया, बल्कि भाजपा विधायक दल के नेता के रूप में श्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में शपथ लेकर उसमंे भाग भी लिया था। श्री सोराबजी ने रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उत्तर के पैराग्राफ 9 के शब्दों पर विशेष जोर दिया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चूंकि श्री बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने क लिए अध्यक्ष के विश्वास को खो दिया था, यह हित में था। राज्य, कर्नाटक ने मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के लिए अध्यक्ष के विश्वास को खो दिया था, यह हित में था। राज्य, कर्नाटक की जनता और भाजपा, संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में श्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था।

14. श्री सोराबजी ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि आदेश टप् नियम 17 सीपीसी के तहत रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन में, रिट याचिकाकर्ताओं ने पैराग्राफ 4 में यह संकेत नहीं दिया था कि रिट का मसौदा तैयार करने के लिए संबंधित वकीलों को निर्देश किसने दिए थे। याचिकाओं में, न ही वकीलों के नामों का खुलासा किया गया था और ऐसी प्रासंगिक जानकारी के अभाव में, यह नहीं माना जा सकता था कि रिट

याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में दिए गए बयान अनजाने में थे या निरीक्षण के माध्यम से दिए गए थे।

15. श्री सोराबजी ने इस नोट पर समाप्त किया कि उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी कि यदि संशोधन की अनुमति दी गई, तो यहां याचिकाकर्ताओं सहित किसी को भी, किसी भी तरह से पूर्वाग्रहित नहीं किया जाएगा, यह भी पूरी तरह से गलत था, यहां तक कि, यदि संशोधन की प्रार्थना की जाती तो संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया होता, तो यहां याचिकाकर्ता रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई स्वीकृति का लाभ पाने के हकदार होते, जो वास्तव में, रिट याचिकाकर्ताओं के मामले की नींव को ही खत्म कर देता।

16. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से बनाए गए मामले का जवाब देते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पीपी राव ने तर्क दिया कि 11 भाजपा विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों के दो सेट थे। और 5 स्वतंत्र विधायकों की अयोग्यता, जहां तथ्य समान हैं, हालांकि, दोनों मामलों में अयोग्यता के आधार पूरी तरह से अलग है। पहले मामले में हलमे का आधार उक्त 11 विधायक थे. उन्होंने ''स्वेच्छा से भाजपा की अपनी सदस्यता छोड़ दी थीं , और इस तरह उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। दूसरे मामले में आधार यह है कि निर्दलीय विधायक. अपने चुनाव के तुंरत बाद भाजपा

सरकार को समर्थन देकर भाजपा में शामिल होने के कारण दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(2) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। विधायकों के दो सेट. उन्होंने 6 अक्टूबर, 2010 को राज्यपाल को ऐसे ही पत्र लिखे थे, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री श्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के अपने इरादे की जानकारी दी थी, जिसका भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात असहनीय हो गया था। उक्त आधार पर, उसी दिन राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से 12 अक्टूबर 2010 को या उससे पहले सदन में अपना बहुमत साबित करने का अनुरोध किया। राव ने कहा कि यह आशंका है कि 16 विधायकों के समर्थन वापस लेने के कारण, वह विश्वास मत नहीं जीत पाएंगे, मुख्यमंत्री ने स्पीकर की मदद से सभी विधायकों को प्राप्त करके विश्वास मत में हेरफेर करने का विकल्प चुना। 11 अक्टूबर, 2010 को सुबह 10.00 बजे विश्वास मत के लिए विधानसभा की बैठक शुरू होने से पहले 16 विधायक, जिन्होंने उनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था, अयोग्य घोषित कर दिए गए।

17. उक्त डिजाइन के अनुसरण में, मुख्यमंत्री ने स्वयं 6 अक्टूबर, 2010 को अध्यक्ष के समक्ष एक याचिका दायर की, जिसमें 11 भाजपा विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई। इस आधार पर कि उन्होंने पार्टी के निर्णय के बिना, राज्यपाल को सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए लिखा था और इस तरह की कार्रवाई संविधान की दसवीं

अनुसूची के तहत अयोग्यता को आकर्षित करती है। इसी तरह का एक आवेदन 6 अक्टूबर, 2010 को दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ताओं श्री डीएन जीवराज, जो भाजपा के मुख्य सचेतक थे और सीटी रवि, विधायक और भाजपा राज्य इकाई के संयुक्त सचिव, ने एक अलग याचिका दायर की थी, अयोग्यता याचिका संख्या 2010 का 2, इसमें प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 को अयोग्य ठहराने के लिए, आरोप लगाया गया कि चुनाव के तुंरत बाद सरकार को अपना समर्थन घोषित करके, वे भाजपा के सदस्य बन गए थे और इसलिए, उन्हें दसवीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। संविधान।

18. 7 अक्टूबर 2010 को स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर। इसके बाद 8 अक्टूबर 2010 को स्पीकर ने पांचों विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. श्री डीएन जीवराजू और श्री सीटी द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर, यहां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक है। दायर याचिकाओं पर आपत्तियां दर्ज करने का समय 10 अक्टूबर 2010 को या उससे पहले शाम 5.00 बजे तक दिया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 तक का मामला यह है कि उन्हें नोटिस की प्रतियां व्यक्तिगत रूप से नहीं दी गईं, जो नोटिस पर चिपकाई गई थीं। जब वे सभी बाहर थे, क्योंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था, तब उन्होंने अपने विधायक आवास

के दरवाजें बंद कर दिए, लेकिन जब उन्हें मीडिया से नोटिस के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपने वकील के माध्यम से अध्यक्ष से संपर्क किया और नोटिस की प्रतियां प्राप्त की और जल्दी से विस्तृत उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग करते हुए, अंतरिम उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग करते हुए, अंतरिम उत्तर तैयार किए गए जो 10 अक्टूब, 2010 को प्रस्तुत किए गए। इसके बाद उसी दिन स्पीकर द्वारा सुनवाई की औपचारिकता निभाई गई और 10 अक्टूबर, 2010 की रात में भी स्पीकर ने 11 बीजेपी विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अलग-अलग आदेश पारित कर दिया और कर्नाटक विधान सभा की सदस्यता से 5 स्वतंत्र उम्मीदवार।

19. श्री राव ने प्रस्तुत किया कि ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा में विश्वास मत लेने से पहले, 11 अक्टूबर, 2010 को सुबह 10.00 बजे से पहले स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने के उद्देश्य से रिट याचिकाए जल्दबाजी में तैयार की गई। ऐसी परिस्थितियॉं में 11 भाजपा विधायकों की ओर से दायर रिट याचिकाओं से कुछ पैराग्राफ हटा दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका के पैराग्राफ 9 में अनजाने में गलतियाँ हुई।

20. श्री राव ने प्रस्तुत किया कि इसमें कोई संदेह नही हो सकता है कि पैराग्राफ 9 में दिए गए बयान पूरी तरह से अनपेक्षित थे, क्योंकि

यह रिट याचिकाकर्ताओं के मामले की जड़ पर प्रहार करता था और अन्यथा प्रस्तुत करने का प्रयास पूरी तरह से बेतुका था। श्री राव ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय का आदेश 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर, 2010 के बीच हुई घटनाओं की समग्रता में पारित किया गया था, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

21. संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों से, यह स्पष्ट है कि इन विशेष अनुमति याचिकाओं में हमें केवल 15 नवंबर, 2010 के रिट में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश की शुद्धता पर विचार करना आवश्यक है। इस फैसले के पैराग्राफ 1 में संदर्भित याचिकाए, रिट याचिकाकताओं/प्रतिवादी नंबर 1 से 5 तक द्वारा दायर आवेदनों को उसके पैराग्राफ 1 में संदर्भित याचिकाएं, रिट याचिकाकर्ताओं/प्रतिवादी नंबर 1 से 5 तक द्वारा दायर आवेदनों को उसके पैराग्राफ 9 में संशोधन करने की अनुमति के लिए अनुमति देती हैं। हालाँकि, विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि रिट याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में दिए गए इस आशय के बयान कि याचिकाकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ी है, कोई गलती नहीं थी बल्कि जानबूझकर की गई थी, और यह कि यदि समग्रता में विचार किया जाए तो रिट याचिकाओं में दर्शाई गई परिस्थितियों से उच्च न्यायालय द्वारा अन्यथा गलत निर्णय लिया गया है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि

रिट याचिकाकर्ताओं ने पूरे समय संकेत दिया था कि वे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे और उन्होंने न तो भाजपा के प्रतीक पर चुनाव लड़ा था और न ही वे किसी भी समय भाजपा में शामिल हुए थे। यहां तक कि उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में अध्यक्ष को सौंपे गए उनके अंतरिम उत्तर दिनांक 9 अक्टूबर, 2010 में भी, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने पैराग्राफ 8 में बिना किसी अनिश्चित शब्दों के कहा है कि वे स्वतंत्र थे जो किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। राजनीतिक दल, विशेषकर भाजपा और 6.10.2010 तक येदियुरप्पा सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे। वास्तव में, इस कथन से यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कि रिट याचिकाकर्ताओं ने भाजपा नहीं छोड़ी है, कि वे पहले ही पार्टी में शामिल हो गए थे, इस निष्कर्ष का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता भाजपा में शामिल हो गए थे, यहां तक कि पत्र में भी उन्होंने राज्यपाल को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वे राज्य में व्यापक पैमाने पर व्याप्त भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के कारण श्री बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले रहे हैं। किसी भी समय विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं द्वारा यह स्थापित करने के लिए कोई सकारात्मक सबूत पेश नहीं किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी संख्या 1 से 5 भाजपा में शामिल हो गए थे।

22. यहां ऊपर बताई गई परिस्थितियों मे, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दायर रिट याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में दिए गए बयान कि उन्होंने भाजपा नहीं छोड़ी है, एक अनजाने में हुई त्रुटि थी। दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा अपनाए गए रूख में काफी दम है कि रिट याचिकाओं के दो सेटों की तैयारी के कारण, जिनमें समान तथ्य हैं, लेकिन विधायकों के दो सेट शामिल है, उनमें से कुछ जिन पैराग्राफों को यहां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा दायर रिट याचिकाओं में शामिल करने का इरादा नहीं था, उन्हें अनजानमे में शामिल कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में यह बयान दिया गया कि यहां प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने इसे नहीं छोड़ा है। भाजपा यह स्पष्ट है कि इस तरह का बयान देने का इरादा था और 11 भाजपा विधायकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं में दिया गया था, जिन्हें इस आधार पर अयोग्य ठहराया गया था कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी और पैराग्राफ के परिणामों को आकर्षित करके किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए थे। संविधान की दसवीं अनुसूची के 2(2).

23. हमारे विचार में, उच्च न्यायालय ने सही ढंग से माना है कि गलती अनजाने में हुई थी और रिट याचिकाओं के पैराग्राफ 9 में एक छूटे हुए वाक्य को छोड़कर, कहीं भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने यह नहीं कहा था कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी है और वह यदि दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(2) के तहत होने वाली कार्यवाही के संदर्भ में देखा जाए तो उक्त वाक्य

को स्पष्ट स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है। दसवीं अनुसूची में प्रावधान है कि सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के अलावा किसी अन्य रूप में चुना गया हो, यिद वह ऐसे चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो उसे सदन का सदस्य होने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

24. इसलिए, हम विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई दलीलों को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं है और सभी विशेष अनुमति याचिकाएं, तदनुसार, लागत के संबंध में किसी भी आदेश के बिना खारीज कर दी जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विक्रम सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है। **अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

एसएलपी खारिज.